



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 09 फरवरी, 2015/20 माघ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-171002, 31 जनवरी, 2015

संख्या: का0 (नि0-4)-ए(3)-1/2012.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7-5/73-डी0 पी0 नियुक्ति, तारीख 15-03-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 11-05-1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज़, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फर्स्ट अमेंडमेंट) रूलज़, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **अपेंडिक्स—III का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज़, 1973, से संलग्न परिशिष्ट—III में "ESSAY" पेपर के पाठ्यक्रम में, उप शीर्षक "Contents" के अधीन शीर्षक "DETAILED SYLLABUS FOR THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE MAIN COMPETITIVE EXAMINATION **COMPULSORY PAPERS**", में "in English Language", शब्दों के स्थान पर "either in English or in Hindi Language" शब्द रखे जायेंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
मुख्य सचिव ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-A(3)-3/84-II dated 31-01-2015 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 31st January, 2015

No. Per(A-IV)-A(3)-1/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this Department's Notification No. 7-5/73-DP-Appnt. Dated 15.03.1973 and published in Rajpatra (Extra Ordinary) dated 11.05.1973, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Service (First Amendment), Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Appendix-III.—In Appendix-III appended to the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, under the heading "DETAILED SYLLABUS FOR THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE MAIN COMPETITIVE EXAMINATION **COMPULSORY PAPERS**", in the syllabus of "ESSAY" paper, under the subheading "Contents", for the words, "in English Language", the words, "either in English or in Hindi language" shall be substituted.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001**NOTIFICATION***Shimla, the 3rd February, 2015*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I) Amb, Distt. Una, H.P. as Drawing and Disbursing Officers in respect of the establishment of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II) Amb, Distt. Una, H.P. w.e.f. 18.02.2015 to 13.03.2015 for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Sh. Baljeet, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Amb or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001**NOTIFICATION***Shimla, the 3rd February, 2015*

No. HHC/Admn.6 (24)74-IX.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba as Additional Chief Judicial Magistrate for Chamba Division, authorizing him to look after the urgent work pertaining to Chamba Civil & Sessions Division w.e.f. 1.2.2015 to 8.2.2015.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत उप मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि० प्र०

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री विशन सिंह, निवासी मुहल्ला कसाकड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र०

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा।

विषय.—मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री विशन सिंह, निवासी मुहल्ला कसाकड़ा, तहसील व जिला चम्बा (हि० प्र०) के मूल कागजात बराये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु की

रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की माता नामक सुन्दर देवी पत्नी श्री विशन सिंह, निवासी मुहल्ला कसाकड़ा, तहसील व जिला चम्बा की मृत्यु दिनांक 15-12-2005 को हुई है लेकिन मृत्यु से संबंधित घटना नगर परिषद् में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता एवं नगर परिषद् चम्बा को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मृतका सुन्दर देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-2-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में मृत्यु प्रमाण पत्र मुताबिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु की अनुमति अनुसार आदेश सम्बन्धित पंचायत/नगर परिषद् को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 19-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप मण्डलाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 5/M.E./T/Misc./2015

दिनांक : 27-1-2015

अगली तारीख : 26-2-2015

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी चामुण्डानगर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री अमर चन्द, निवासी जयपुर, डा0 पुईद, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 16-1-2015 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-10-2004 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान जयपुर में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया गया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 4/M.E./T/ Misc./2015

दिनांक : 27-1-2015

अगली पेशी : 26-2-2015

श्री कमलेश पुत्र श्री होतम राम, निवासी झान्सू, डा0 नग्गर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती शोमावती पुत्री श्री नौला राम, निवासी धारा पूजनी, डा0 लराकिलों, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 19-1-2015 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 26-4-2014 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान धारा पूजनी में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया गया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 3/M.E./T.Misc./2015

दिनांक : 27-1-2015

अगली पेशी : 26-2-2015

श्री भोले राम पुत्र श्री गुप्त राम, निवासी तंदला, डा0 काईस, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती ललिता पुत्री श्री तुले राम, निवासी सियोल, डा0 कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 23-1-2015 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 8-5-2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सियोल में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया गया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

आशा देवी पुत्री स्व0 श्री अमर चन्द, निवासी गृह संख्या 184, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

आशा देवी पुत्री स्व0 श्री अमर चन्द, निवासी गृह संख्या 184, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 19-4-1978 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आशा देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 2-3-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, गांव नवाहर, डा0 वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, गांव नवाहर, डा0 वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र अमित ठाकुर व रबी ठाकुर का जन्म दिनांक 16-9-1992 व 15-12-1997 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-2-2015 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना पत्र श्री इन्द्र सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा,
नायब तहसीलदार,
औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 15/2015

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी मेहराड़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी मेहराड़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अरुण कुमार की जन्म तिथि 5-1-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पड़दूनी में अपने उपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 5-1-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरुण कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पड़दूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 25-2-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अरुण कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री यश पाल पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी शिवपुरी रोड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री यश पाल पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी शिवपुरी रोड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 4-6-1955 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर यशपाल की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती मंजूरानी पत्नी श्री मंगल नाथ, निवासी कच्चा टैंक, म0 नं0 151/10, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती मंजूरानी पत्नी श्री मंगल नाथ, निवासी कच्चा टैंक, म0 नं0 151/10, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री काजल वर्मा जिसकी जन्म तिथि 8-7-1994 है, का नाम नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर काजल वर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी मोहल्ला पुरबियान नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी पुरबियान मोहल्ला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पत्नी श्रीमती सत्या देवी जिसकी मृत्यु तिथि 10-8-1996 है, को नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती सत्या देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री रमेश चन्द कालिया पुत्र श्री राजकुमार, निवासी म० नं० 130-E-रानीबाग, अम्बाला (हरियाणा)

बनाम

आम जनता

श्री रमेश चन्द कालिया पुत्र श्री राजकुमार, निवासी अम्बाला, तहसील अम्बाला (हरियाणा) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र ध्रुव कालिया की जन्म तिथि 31-3-1979 व दूसरे पुत्र मोहित कालिया की जन्म तिथि 31-7-1980 है, के नाम नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। जिन्हें प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर ध्रुव कालिया व मोहित कालिया की जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी चीड़ावाली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी चीड़ावाली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री ममता जिसकी जन्म तिथि 19-10-1989 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर ममता की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बदरी प्रशाद, निवासी म० नं० 1279/5, मोहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बदरी प्रशाद, निवासी म० नं० 1279/5, मोहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र किशना जिसकी जन्म तिथि 1-4-2004 एवं उसकी मृत्यु तिथि 4-1-2007 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर किशना की जन्म तिथि व मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री सुलेमान पुत्र श्री शमशूदीन, निवासी मियां का मंदिर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री सुलेमान पुत्र श्री शमशूदीन, निवासी मियां का मंदिर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मलीहा जिसकी जन्म तिथि 28-12-2011 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मलीहा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री सलीम मोहम्मद पुत्र श्री नसीरुद्दीन, निवासी मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री सलीम मोहम्मद पुत्र श्री नसीरुद्दीन, निवासी मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र आमीरखान जिसकी जन्म तिथि 26-11-2007 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर आमीरखान की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री शिवदयाल, निवासी कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री शिवदयाल, निवासी कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 10-3-1992 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मोहन सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री शिवराज गोयल पुत्र श्री विलायती राम, निवासी (ओगली) कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री शिवराज गोयल पुत्र श्री विलायती राम, निवासी ओगली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र नैन साहिल की जन्म तिथि 1-7-1991 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर नैन साहिल की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सुनीता देवी पत्नी श्री योगेश कुमार, निवासी रोजबेन्दली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री सुनीता देवी पत्नी श्री योगेश कुमार, निवासी रोजबेन्दली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र उर्विष सिंह जिसकी जन्म तिथि 13-4-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत धगेड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर उर्विष सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मोहित कुमार जिसकी जन्म तिथि 12-12-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मोहित कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री इसरान पुत्र असलोदीन, निवासी भेड़ो, डा० मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री इसरान पुत्र असलोदीन, निवासी भेड़ो, डा० मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मुबारिक जिसकी जन्म तिथि 16-8-2012 है, का नाम ग्राम पंचायत मातर, डा० मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मुबारिक की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्रीमती मोहिन्द्रो देवी पुत्री श्री सूरत राम पत्नी श्री जोध राम, निवासी पुरुवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती मोहिन्द्रो देवी पुत्री श्री सूरत राम पत्नी श्री जोध राम, निवासी पुरुवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 15-6-1974 है, का नाम ग्राम पंचायत कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मोहिन्द्रो देवी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्रीमती कान्ता खेरा पत्नी श्री सतीश कुमार, निवासी बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्रीमती कान्ता खेरा पत्नी श्री सतीश कुमार, निवासी बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सौरव खेरा की जन्म तिथि 5-12-1990 एवं उसकी पुत्री दिव्या खेरा की जन्म तिथि 1-8-1988 है, के नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। जिन्हें प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सौरव व दिव्या की जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री सुरेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह, निवासी कटोरड़, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री सुरेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह, निवासी कटोरड़, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत

करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सपना जिसकी जन्म तिथि 14-6-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सपना की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री सुरेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह, निवासी कटोरड़, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री सुरेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह, निवासी कटोरड़, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री शबनम जिसकी जन्म तिथि 25-1-1999 है, का नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शबनम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री सुरेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह, निवासी कटोरड़, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री सुरेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह, निवासी कटोरड़, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र ओम प्रकाश जिसकी जन्म तिथि 17-2-2006 है, का नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर ओम प्रकाश की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।